# न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

## पीठासीन अधिकारी – डॉ.इंद्रजीत यादव, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 21 / 2026
जीसीएमएस नं. : 2026 / 39

**प्रार्थी :–**

सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी,
जिला रसद कार्यालय, बॉसवाडा

**बनाम**

**अप्रार्थी :–**

श्री लाभचन्द / नारायणलाल, पी.एम. श्री इंगलिश मिडियम स्कूल के पास, खान्दु कॉलोनी, बांसवाडा

**उपस्थित**

–विभागीय प्रतिनिधि

अप्रार्थी स्वयं

## निर्णय

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

**दिनांक :– 27–03–2026**

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार द्वारा घरेलू एलपीजी सिलेण्डरो के दुरुपयोग / अवैध रिफिलिंग / अवैद्य भण्डारण / जमाखोरी / कालाबाजारी / उच्च दामो पर विक्रय के सम्बन्ध में मुखबीर से दुरभाष पर प्राप्त शिकायत के आधार पर दिनांक 13.03.2026 को पी.एम. श्री इंगलिश मिडियम स्कूल के पास, खान्दु कॉलोनी, बांसवाडा स्थित श्री लाभचन्द / नारायण लाल के निजी आवास की जांच श्री लाभचन्द / नारायण लाल की पत्नि श्रीमती विद्या देवी उपस्थिति में श्री लालशंकर डामोर प्रवर्तन अधिकारी, श्री सुनील कुमार मीणा प्रवर्तन निरीक्षक, श्री गौरव सुथार प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा की गई। मौके पर 3 घरेलु व 2 व्यवसायिक सिलेण्डर भण्डारित करना पाया गया। उक्त गैस सिलेण्डर का विवरण निम्नानुसार है–

| क्र. स. | नाम ऑयल कम्पनी | सिलेंडर का एस. आर. नम्बर | कुल वजन किलो में | खाली सिलेण्डर वजन | गैस का वजन |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HPCL (घरेलु) | [illegible] | [illegible] | 15.600 | 0.000 |
| 2 | BPCL (घरेलु) | 619700 T | 15.600 | 15.600 | 0.000 |
| 3 | HPCL (घरेलु) | 163185 T | 8.500 | 8.500 | 0.000 |
| 4 | HPCL (व्यवसायिक) | 138720 | 8.700 | 8.700 | 0.000 |

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2026.04.07 10:38:45 IST
Reason: SelfAttested

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | BPCL (व्यवसायिक) | अस्पष्ट | 19.000 | 19.000 | 0.000 |

श्री लाभचन्द / नारायण लाल के आवास पर एल.पी.जी गैस सिलेण्डर के अवैद्य भण्डारण के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब नही दिया गया, न ही किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार मौके पर 3 घरेलु व 2 व्यवसायिक का भण्डारण करना पाये जाने एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन ) आदेश 2000 के खण्ड 3 (ग), 4(1 क), 6, 7 (क,ख,ग) का उल्लघंन होने के साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खण्ड 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 3 घरेलु व 2 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर जब्त किया जाकर त्रिपुरा एच.पी. गैस एजेन्सी, बांसवाडा के प्रतिनिधि श्री शंभुलाल चरपोटा/ रावजी चरपोटा को सुपुर्दगी में दिया गया।

इस प्रकार प्रवर्तन अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर मौके से उपरोक्तानुसार जप्त 3 घरेलु व 2 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये समन तलब किया गया। दिनांक 27.03.2026 को अप्रार्थी ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार से घरेलु गैस सिलेण्डरो का कोई अवैध व्यवसाय या कारोबार नही किया जाता है और न ही अवैध भण्डारण किया जाता है। जब्तशुदा गैस सिलेण्डर अप्रार्थी का नही है न ही अप्रार्थी के कब्जे से पाया गया है। जब्तशुदा 1 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात किया जावे।

विभागीय प्रतिनिधि की ओर से प्रस्तुत बहस कथन किया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार द्वारा घरेलू एलपीजी सिलेण्डरो के दुरुपयोग/ अवैध रिफिलिंग/ अवैद्य भण्डारण/ जमाखोरी/ कालाबाजारी/ उच्च दामो पर विक्रय के सम्बन्ध में मुखबीर से दुरभाष पर प्राप्त शिकायत के आधार पर दिनांक 13.03.2026 को पी.एम. श्री इंगलिश मिडियम स्कूल के पास, खान्दु कॉलोनी, बांसवाडा स्थित श्री लाभचन्द/ नारायण लाल के निजी आवास की जांच श्री लाभचन्द/ नारायण लाल की पत्नि श्रीमती विद्या देवी उपस्थिति में श्री लालशंकर डामोर प्रवर्तन अधिकारी, श्री सुनील कुमार मीणा प्रवर्तन निरीक्षक, श्री [illegible] सुथार प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा की गई। मौके पर 3 घरेलु व 2 व्यवसायिक सिलेण्डर पर [illegible] गया। श्री लाभचन्द/ नारायण लाल के आवास पर एल.पी.जी गैस सिलेण्डर के अवैद्य भण्डारण के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब नही दिया गया, न ही किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार मौके

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2026.04.07 10:38:45 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

पर 3 घरेलु व 2 व्यवसायिक का भण्डारण करना पाये जाने एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन ) आदेश 2000 के खण्ड 3 (ग), 4(1 क), 6, 7 (क,ख,ग) का उल्लघंन होने के साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खण्ड 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 3 घरेलु व 2 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर जब्त किया जाकर त्रिपुरा एच.पी. गैस एजेन्सी, बांसवाडा के प्रतिनिधि श्री शंभुलाल चरपोटा/ रावजी चरपोटा को सुपुर्दगी में दिया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 स्वीकार कर उपरोक्तानुसार जप्त 3 घरेलु व 2 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थी से उपरोक्तानुसार व्यवसायिक स्थान पर 3 घरेलु व 2 व्यवसायिक सिलेण्डर का भण्डारण करना पाया गया है। अप्रार्थी द्वारा इस सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा अपने निजी आवास पर घरेलु गैस का भंडारण किया जाना प्रमाणित है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार जब्त शुदा 3 घरेलु व 2 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी, बांसवाड़ा उक्त गैस सिलेण्डर का नियमानुसार निस्तारण करें।

निर्णय आज दिनांक 27–03–2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.इंद्रजीत यादव)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2026.04.07 10:38:45 IST
Reason: SelfAttested